सं.: 1:05:138: I: सीएस
दिनांक: 07.02.2024

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) **मुंबई - 400 051.**	**बीएसई लिमिटेड,** कॉर्पोरेट सेवा विभाग, मंजिल - 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई - 400 001.**

विषय: भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 30 के अंतर्गत प्रकटीकरण

महोदया/महोदय

सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में, आरबीआई ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मुख्य निवेश कंपनियों के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क' पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के कई प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए कंपनी पर 8.8 लाख रुपए (केवल आठ लाख अस्सी हजार रुपए) की मौद्रिक पेनल्टी लगाई थी।

आरबीआई ने उल्लेख किया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन अथवा निष्पादित करार की वैधता को स्पष्ट करना नहीं है।

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में आरबीआई के उपर्युक्त परिपत्र के अंतर्गत, कंपनी को 01.12.2020 से उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में लिक्विडिटी कवरेज अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है। कंपनी ने एचक्यूएलए के हिस्से के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिदेय योग्य सावधि जमा (एफडी) को शामिल किया है। आरबीआई ने एलसीआर की गणना के लिए इन जमा राशियों को एचक्यूएलए के रूप में अयोग्य परिसंपत्तियों के रूप में माना है। इस प्रकार, आरबीआई ने विनियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर पेनल्टी लगाई है। इस प्रकार, आरबीआई ने 31.03.2022 को निर्धारित लिक्विडिटी अनुपात बनाए नहीं रखने पर विचार करते हुए विनियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर पेनल्टी लगाई है।

उपर्युक्त पेनल्टी का कंपनी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह प्रकटीकरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में किया जा रहा है।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,
mk_agarwal@pfcindia.com